

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2019—कार्तिक 9, शक 1941

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2019

शुद्धि पत्र

क्र.299-जि.श.वि.अ.-2019.—नगरपालिक निगम, भोपाल को 02 पृथक नगर निगम बनाये जाने के संबंध में अधिसूचना क्रमांक 290-जि.श.वि.अ.-2019 दिनांक 09 अक्टूबर 2019 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 415 दिनांक 09 अक्टूबर 2019 में किया गया है. उक्त अधिसूचना में उल्लेखित म. प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (23 सन् 1956) की "धारा 405 (1)" के स्थान पर "धारा 405 सहपठित धारा 7 एवं 10" पढ़ा जावे तथा उल्लेखित "तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर, जिला-भोपाल" के स्थान पर "मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर, जिला-भोपाल" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर जिला-भोपाल.